

Real Estate Regulatory Authority
Madhya Pradesh

भू-संपदा
विनियामक प्राधिकरण
मध्यप्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भीपाल दूरभाष-0755-2556760

Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2021/II-R/A-05/F-285/772

भीपाल, दिनांक 14/03/2022

प्रति,

शुभम बिल्डकॉन,
सम्प्रवर्तक,
1, शुभम ग्रीन्स, कैट रोड,
रंगवासा, इंदौर(म०प्र०)

विषय: परियोजना- बिलिनियर्स पार्क, इंदौर (REF. No.65403514594) के संबंध में।

- 0 -

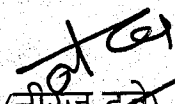
कृपया विषयांकित आपके आवेदन का स्मरण करें।

प्राधिकरण के आदेशानुसार मुझे यह सूचित करने के निर्देश हुए हैं कि :-

" परियोजना बिलिनियर्स पार्क, इंदौर का पंजीकरण सशर्त मान्य किया गया है।
परियोजना को पंजीयन क्रमांक P-IND-22-3194 आवंटित किया गया है।
परियोजना प्रमाण पत्र एवं आदेश की प्रति संलग्न है।"

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।


(नीरज दुबे)

Ok सचिव

म०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

कार्यवाही की
तारीख, स्थान

आदेश

प्र.

08.03.2022

प्रोजेक्ट का नाम - बिलिनियर्स पार्क, इन्दौर।

संप्रवर्तक का नाम - शुभम् बिल्डकॉन, इन्दौर।

1- आज दिनांक को सुनवाई में आवेदक की ओर से श्री पुलकित मेहता सी.ए. उपस्थित हुए। प्रकरण में आवेदक द्वारा फार्म बी के शपथ पत्र में भूमि बुलडाना अरबन कॉर्पोरेटिव सोसायटी के पास बंधक रखा जाना दर्शाया गया था अतः आवेदक से जानकारी चाही गई थी कि केतागणों से प्राप्त विक्रय प्रतिफल का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा एवं क्या बैंक प्रतिफल की राशि में से 70 प्रतिशत सिर्फ निर्माण के लिए ऋण की अदायगी में समाहित तो नहीं करेगी ? श्री मेहता द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा समस्त अदायगी कर दी गई है और अब भूमि पर कोई ऋण नहीं है तथा उक्त के सम्बन्ध में बैंक का पत्र दिनांक 19.02.2022 प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त पालन से अब भारहीनता का नवीन शपथ पत्र एवं शेड्यूल ए जो प्राधिकरण द्वारा विहित प्रारूप में नहीं प्रस्तुत किया गया है को छोड़कर आवेदन पंजीयन योग्य है।

2- प्रकरण में शुभम् बिल्डकॉन, इन्दौर आवेदक हैं, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म श्रेणी के आवेदक हैं, उनके द्वारा, परियोजना- बिलिनियर्स पार्क, इन्दौर का पंजीयन भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 धारा 4 (2) एवं म.प्र. भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम 3 के अंतर्गत उपरोक्तानुसार कमियों को छोड़कर शेष अपेक्षित परियोजना विवरण, सक्षम प्राधिकारी की प्रतियां एवं शपथ पत्र समर्थित घोषणाएं प्रस्तुत की गई हैं। परियोजना ग्राम- बिजलपुर, तहसील एवं जिला- इन्दौर के खसरा क्र. 281/2/1, 282/2, 282/4, 283/3, 284/1, 284/2, 285/1, 285/2, 286/1, 286/2, 287, 301/1 कुल रकबा 1.401 हेक्टेयर पर प्रस्तावित हैं। पंजीयन अधिकारी की संक्षेपिका अनुसार भूमि आवेदक फर्म के स्वामित्व की है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र फार्म बी दिनांक 02.02.2022 के अनुसार भाररहित है।

3- परियोजना नवीन हो कर भूखण्ड विकास से संबंधित है जिसमें 1.401 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रुपये 1796.55 लाख की लागत से विकसित की जानी हैं, जिसमें 41 भूखण्ड विकसित किये जाने हैं। भारहीनता का नवीन शपथ पत्र एवं शेड्यूल ए जो प्राधिकरण द्वारा विहित प्रारूप में नहीं प्रस्तुत किया गया है, को छोड़कर शेष वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने से पंजीयन हेतु विचाराधीन आवेदन अधिनियम की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर स्वीकार किया जाता है। परियोजना की पूर्णता तिथि आवेदन में दर्शाये अनुसार दिनांक 01.10.2025 है, मान्य की जाती है। अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 9, 14, 15, 16 में वर्णित सम्प्रवर्तक के कृत्य एवं कर्तव्यों का पालन सम्प्रवर्तक द्वारा किया जाएगा।

1. भारहीनता का नवीन शपथ पत्र एवं शेड्यूल ए जो प्राधिकरण द्वारा विहित प्रारूप में नहीं प्रस्तुत किया गया है, अतः 15 दिवस के अंदर प्राधिकरण के पोर्टल पर वांछित जानकारी अपलोड करें।

आई.टी. ऑपरेटर ऑनलाईन प्रविष्टि करे एवं सचिव प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही की जाये।

(एस.एस. राजपूत)
सदस्य

(ए.पी. श्रीवास्तव)
अध्यक्ष



Real Estate Regulatory Authority भू-सम्पदा
Madhya Pradesh विनियामक प्राधिकरण
मध्य प्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, मेन रोड नं. 1, भोपाल-462011

प्ररूप "ग"
{नियम 6 (1) देखिए}

परियोजना का पंजीयन प्रमाण-पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा 5 के अधीन निम्नलिखित परियोजना को परियोजना पंजीयन क्रमांक **P-IND-22-3194** के अधीन मंजूर किया जाता है:-

परियोजना- बिलिनियर्स पार्क, इन्दौर, म.प्र.

(परियोजना पते को सम्मिलित करते हुए परियोजना के ब्यौरे विनिर्दिष्ट कीजिए):

1. (व्यक्तिगत की दशा में) श्री/श्रीमती
पुत्र श्री/श्रीमती
तहसील जिला राज्य

या

(फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी की दशा में) **शुभम् बिल्डकॉन इंदौर**
फर्म/सोसाइटी/कंपनी सक्षम प्राधिकारी **1, शुभम् ग्रीन्स कैट रोड, रंगवासा** इसका पंजीकृत
कार्यालय/कारोबार का प्रमुख स्थान होगा। **इन्दौर, म.प्र.**

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूर किया जाता है, अर्थात् -
(एक) सम्प्रवर्तक "उपबंध-क" में यथा उपबंधित के साथ विक्रय हेतु करार करेगा।
(दो) सम्प्रवर्तक धारा 17 के अनुसार कॉमन क्षेत्र या अपार्टमेंट के, जैसी भी स्थिति हो, आबंटिती के संघ या आबंटिती के पक्ष में हस्तांतरण विलेख को निष्पादित या पंजीकृत करेगा।
(तीन) सम्प्रवर्तक धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपखण्ड (घ) के अनुसार निर्माण लागत तथा इस प्रयोजन के लिए उपयोग की जानेवाली भूमि की लागत को पूरा करने के लिए सम्प्रवर्तक द्वारा वसूली गई रकम का सत्तर प्रतिशत अनुसूचित बैंक में बनाए रखने के लिए अलग खाते में जमा करेगा।
(चार) पंजीयन दिनांक **10-03-2022** से शुरू करते हुए **01-10-2025** के साथ समाप्त करते हुए वर्ष की कालावधि के लिए वैध होगा, यदि अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 8 के अनुसार रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण द्वारा नवीकृत नहीं कराया जाता है।
(पांच) सम्प्रवर्तक इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों को अधिनियम के उपबंधों के साथ लागू करेगा।
(छः) सम्प्रवर्तक क्षेत्र में लागू जहां परियोजना का विकास किया जा रहा है तत्समय किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

3. यदि उक्त उल्लिखित शर्तें सम्प्रवर्तक द्वारा पूरी नहीं की जाती हैं, तो विनियामक प्राधिकारी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार इसमें पंजीयन मंजूरी को प्रतिसंहत करते हुए सम्प्रवर्तक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा।

4. उक्त परियोजना प्रकरण प्राधिकरण के आदेश में अंकित शर्तों के अधीन।

दिनांक : **10-03-2022**

स्थान : **भोपाल**

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण